(643)

राजस्थान सरकार,
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प 3(268)नविवि/3/2011 जयपुर, दिनांक 3 JUL 2012

आज्ञा

केन्द्र सरकार के संगठनों को आवंटित की जाने वाली भूमि की दरों के निर्धारण में प्रक्रिया की एकरूपता किए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुसरण में एतदद्वारा निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:–

1. सम्भागीय आयुक्त — अध्यक्ष
2. संबंधित जिला कलक्टर — सदस्य
3. संबंधित स्थानीय निकाय का प्रतिनिधि — सदस्य

उक्त समिति केन्द्र सरकार के संगठनों द्वारा राज्य में भूमि आवंटित किए जाने के आग्रह पर ही विचार करेगी, किसी अन्य निजी संगठनों के अनुरोध पर विचार नहीं किया जावेगा। समिति द्वारा आवंटन की जाने वाली भूमि की स्थिति के दृष्टिगत भूमि की दर की स्पष्ट अभिशंषा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी ताकि संबंधित सभी पक्षों का संतोषजनक समाधान हो सके।

उक्त समिति की अभिशंषा के आधार पर राज्य में केन्द्र सरकार के संगठनों को आवंटित की जाने वाली भूमि की दरों के संबंध में प्रकरण मंत्रिमण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd/-
(गुरदयाल सिंह संधू)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा0 शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा0 शासन विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
7. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
9. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
10. समस्त संभागीय आयुक्त,......................(राजस्थान)।
11. समस्त, जिला कलक्टर......................(राजस्थान)।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को समस्त स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए।
13. सचिव, नगर सुधार न्यास................(समस्त)
14. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
15. उप विधि परामर्शी/उपनगरनियोजक/सांख्यिकी अधिकारी
16. समस्त लिपिक (आवंटन शाखा)।
17. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव–द्वितीय